बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,

आदेश

सं0 सं0–3/आ01–208/2016................../दिनांक–06.12.2016 को विभागीय स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित लाभुक आधारित योजनाओं, यथा, साईकिल, पोशाक, प्रोत्साहन आदि के अन्तर्गत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित मामले की समीक्षा बैठक आहुत की गयी। श्री सरोज कुमार झा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, जमुई बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे। श्री झा पूर्व में भी आहुत बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहे है।

अतः सरकार के आदेशानुसार कार्य में लापरवाही, कर्तव्यहीनता एंव उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना इत्यादि आरोपों के संर्दभ मे प्रभारी पदाधिकारी, ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता कोषांग शिक्षा विभाग, के पीत पत्र सं0–241 दिनांक 06.12.2016 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री सरोज कुमार झा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, जमुई को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम (9) के सुसंगत प्रावधानों आदेश निर्गत कि तिथि से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबित अवधि में श्री झा का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर कार्यालय में निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबिन अवधि में श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम (10) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन अविध के निर्धारित मुख्यालय से देय होगा।

4. श्री झा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' एवं विभागीय कार्यवाही हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0/–

(सुशील कुमार)

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक–3/आ01–208/2016–1010/ पटना, दिनांक–06.12.2016/

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव (वै0दा0नि0को0) वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी, पटना–02 एवं प्रशाखा–03 शिक्षा विभाग, बिहार पटना/श्री सरोज कुमार झा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/12/2016

(सुशील कुमार)

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

6/12